न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 86/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/105

1. नगरपालिका सूरतगढ़, जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. बलदेवराज पुत्र श्री किशोरीलाल जाति बाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 32 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बेद — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स संख्या 1

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 13.04.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 480/1 में 0.012 हैक्टयर, खसरा नं. 481/12 में 0.468 हैक्टयर, खसरा नं. 481/3 में 0.421 हैक्टयर, 481/14 में 1.265 हैक्टयर, 483/1 में 1.252 हैक्टयर, 483/2 में 2.492 हैक्टयर, व 485/10 में 0.341 हैक्टयर कुल तादादी 6.311 हैक्टयर पूर्व में टीसी आवंटन था जो तहसीलदार सूरतगढ ने दिनांक 09.06.2006 को टी.सी आवंटन निरस्त कर दिया। तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.06.2006 से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की। उक्त अपील पर निर्णय करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 13.04.2022 को अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 09.06.2006 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुर राम सुथार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ का टीसी आवंटन नियमों के विरूद्ध था। रेस्पोडेन्ट्स इस रकबे की ना तो कभी रकम जमा कराई गई और ना ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के नाम इस रकबे का नवीनीकरण हुआ। टीसी आवंटन केवल एक साल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

[illegible]

(अ) आर.आर.डी. 1992 पेज नं. 835 के अनुसार A lease for temporary cultivation automatical terminates at the end of the lease period on heir to a deceased allotee can not claim renewal there of as a matter of right he should apply for a fresh allotment for himself on merits.

(ब) आर.आर.डी. 2014 पेज नं. 364 के अनुसार A lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease.

(स) आर.डी.जे. 1999 पेज नं. 214 के अनुसार Temporary allotment of land for cultivation creats no right in favour of the person to whom land was temporarily allotted

3. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट श्री राजेश ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 09.06.2006 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को बिना सुने पुराने आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का टीसी आवंटन समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा है एवं कब्जा रेस्पोंडेन्ट्स का लगातार बना हुआ है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णयों में कई अवसरों पर यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टीसी आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। तहसीलदार ने जिन सरकारी परिपत्रों का हवाला अपने निर्णय में दिया है, वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टीसी लीज को निरस्त करने की शक्तिया तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर को दी गई है। टीसी आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। नियम 19(ए) की शर्त अनुपालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त करने की शक्तिया जिला कलक्टर में निहित है। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने तहसीलदार सूरतगढ़ के पारित आदेश को क्षेत्राधिकार विहीन मानते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.06.2006 खारिज कर दिया। इस प्रकार अपीलांट को इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 13.04.2022 को यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि केवल मात्र पैराफेरी क्षेत्र में आ जाने से आवंटी के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। हम अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 13.04.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 13.04.2022 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर